

'पंजीकृत'

प्रेषक,

भगवती प्रसाद सक्सेना,
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या-1,
मिर्जापुर।

सेवा में

महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।

पत्रांक:

129/I मीरजापुर/दिनांक 17-01-2020

विषय: उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्वैच्छिक परिवार नियोजन लाभ योजना के अन्तर्गत विशेष व्यक्तिगत वेतन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अनुरोध है कि मेरे दो सन्तान क्रमशः पुत्र श्री देवेश सक्सेना की जन्म-तारीख 13.01.1995 है एवं दूसरी सन्तान पुत्री कु० देवांशी सक्सेना की जन्म-तारीख दिनांक 22.04.1999 है। उपरोक्त दोनो सन्तानों के मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र की प्रपाणित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। दिनांक 22.04.2009 को मेरी दूसरी सन्तान कु० देवांशी सक्सेना (पुत्री) की उम्र 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा उस समय मैं अपर जनपद न्यायाधीश इन्ड्रीलेबल (51,550-63,080 के वेतनमान) में कार्यरत रहा हूँ। मेरे यही दो सन्तान मात्र हैं एवं उक्त तारीख दिनांक 22.04.2009 को मेरी उम्र 40 वर्ष से अधिक की रही है।

आतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-प.क. 4601 / 16-11-79-9-155-99 लखनऊ चिकित्सा अनुभाग-2, दिनांकित 23.02.1980 के अनुसार स्वैच्छिक परिवार नियोजन लाभ योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन प्रदान करने की कृपा करें।

आभार सहित प्रेषित।

दिनांक-17.01.2020

साक्ष

मंबदीय,

(भगवती प्रसाद सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या-1,
मिर्जापुर।

17/01/2020

संलग्नक:
यथोपरि।

घोषणा-पत्र

(40 वर्ष से अधिक आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए)

मैं श्री/ श्रीमती ~~भगती प्रसाद सक्सेना~~ घोषणा करता/करती हूँ
कि इस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात् 57 वर्ष 8 माह हो गयी है।
मेरा परिवार दो बच्चों तक ही सीमित है तथा सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या
उससे अधिक अर्थात् 19 वर्ष 10 माह है। मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ
कि इस घोषणा-पत्र के दिनांक के पश्चात यदि मेरे कोई पुत्र/पुत्री होगा तो उसका
विवरण मैं अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उसके जन्म के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत
करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर- 
पदनाम- भगती प्रसाद सक्सेना
विभाग/कार्यालय का नाम- अपरिवारिक
मीरजापुर